(b) The number of flats constructed by the DDA in various categories during the each of these years is as per Annexure 'B' enclosed.

(c) Reasons for shortfall are as under:

(i) Delay in the external electrification of the area.

(ii) Delay in provision of bulk water supply and sewage disposal arrangement by the civil bodies.

(iii) Occasional shortfall of building materials like cement, steel pipes.

(iv) Contractual problems.

(d) The steps taken for faster construction of houses include:

(i) Better inter-agency co-ordination at various levels.

(ii) Better inventory control.

(iii) Better Project Management.

Statement

Details of Targets Year-wise

Year	Category					Total
	SFS	MIG	LIG	Janta/EWS	Staff Housing	
1991-92 . . .	2144	1732	1616	6095	..	11587
1992-93 . . .	2000	1481	3028	1835	80	8424
1993-94	1818	3276	4041	1006	..	10141

ANNEXURE 'B'

Number of flats constructed year-wise

Year	Category				Total
	SFS	MIG	LIG	Janta/EWS	
1991-92	1982	1508	1615	5810	10915
1992-93	1941	1256	2776	1903	7876
1993-94	1641	2716	3473	831	8661

कृषि फार्म हाउसों में भवनों का निर्माण करना

1700. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय ऐसे कृषि फार्म हाउसों की संख्या कितनी है जिनमें ऐश्वर्यपूर्ण भवन निर्माण किये गये हैं ;

(ख) इन फार्म हाउसों में फार्म मालिकों द्वारा खेतीबाड़ी के लिये कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है और भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिये कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या इन फार्म हाउसों के मालिक पुश्तैनी किसान हैं या शौकिया किसान हैं ; और

(घ) पुरतैनी किसानों और शौकिया फार्म हाऊस मालिकों के अलग अलग नाम क्या हैं ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शहरों के निकट फार्म हाउस बनाये जाना

1701. **श्री शिव प्रसाद डनडुरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी "क" और "ख" के अन्तर्गत आने वाले उन शहरों के नाम क्या हैं जहां 30 किलोमीटर की परिधि के भीतर फार्म हाउस बनाये गये हैं;

(ख) फार्म हाउस के कुल क्षेत्र में से ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिस पर भवनों या गैर कृषि संरचनाओं का निर्माण किया गया है और उस भूमि का क्षेत्र कितना है जिसका उपयोग कृषि-उत्पादन के लिये किया जा रहा है;

(ग) क्या निर्धारित क्षेत्र पर आवासीय परिसरों और गैर-कृषि संरचनाओं का निर्माण नियमों के अनुसार किया गया है और यदि नहीं, तो क्या नियमों का उल्लंघन करने वाले फार्म हाउस के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री वी.के. थुंगन) : : (क) से (घ) 'शहरी (नगर) विकास' और "नगर नियोजन" मूलतः राज्य का विषय है और राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, भू-उपयोग प्लान, मास्टर प्लान तैयार करती है । अतः शहरों के भीतर बाहर भूमि अथवा फार्म हाउसों से संबंधित नियम विभिन्न राजकीय अधिनियमों से शासित होते हैं । शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के साथ कुछ कृषि भूमि का शहरी उपयोग कुछ हद तक परिवर्तन आवश्यक है । चूंकि कृषि भूमि का उपयोग भूमि सुधार अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा शासित होता है जिसमें गैर-कृषि उपयोगों के लिये भूमि के परिवर्तन/स्थानांतरण हेतु प्रावधान होते हैं । अतः ऐसे क्षेत्र की जब कोई भूमि मास्टर प्लान में कृषि उपयोग के लिये अंकित होने पर उसे संगत नगर नियोजन/मास्टर प्लान विनियमों में विहित कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना, कृषि इतर कार्यों के लिये तबदील नहीं किया जा सकता । स्थितियां राज्य-दर राज्य और शहर दर-शहर भिन्न-भिन्न होंगी । विषयगत मामला पूर्णतः राज्य सरकारों के दायरे में होने से भारत सरकार द्वारा ऐसी सूचना एकत्र नहीं की जाती ।

दिल्ली में भूमि की बढ़ती कीमतें

1702. **श्री अजीत जोगी** :
श्री रामगोपाल यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि की कीमत में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीमत को कम करने अथवा कम से कम तीन वर्षों तक कीमत पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) जी, हां । भूमि अधिग्रहण लागत जमा भूमि की विकास लागत में वृद्धि हो जाने के